रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1100] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937
No. 1100] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015 /JYAISTHA 4, 1937

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ.1389(अ).—केन्द्र सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008(2008 का 34) की धारा-15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित किसी मामले के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला के न्यायालय में अपील तथा समीक्षा अथवा अन्य मामलों के आयोजन के लिए श्री जगदीश मनचन्दा अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है:—

[फा. सं.11034/30/2009-आईएस-VI(IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

S.O.1389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Jagdish Manchanda, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting appeals and revisions or other matters in the High Court of Punjab and Haryana and the Court of Senior most Additional Sessions Judge at Panchkula, arising out of any case instituted by the National Investigation Agency.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]
M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ.1390(अ).—केन्द्र सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008(2008 का 34) की धारा-15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा विचारण न्यायालयों में संस्थापित किसी मामले के संबंध में विधि द्वारा संस्थापित समीक्षा न्यायालयों अथवा अपील न्यायालयों में अपील तथा समीक्षा अथवा अन्य मामलों के आयोजन के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने उल्लिखित राज्यों के क्षेत्राधिकार में विशेष लोक अभियोजक के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है:—

क्रम सं.	*अधिवक्ताओं का नाम*	*राज्य*
1	श्री गोने कोटेश्वर राव	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
2	श्री किशोर भादुड़ी	छत्तीसगढ़
3	श्री धन सिंह सोलंकी	छत्तीसगढ़
4	श्री उमाकांत पांडे	छत्तीसगढ़
5	श्री संजय कुमार उर्फ संजय के गुवीरा	चंडीगढ़
6	श्री करन बीर गिल	चंडीगढ़
7	श्री रोहित शंकर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
8	श्री उमेश कुमार शर्मा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
9	श्री बी एस.जून	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
10	श्री मिथलेश कुमार झा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
11	श्री मौलिन ज्योतिन्द्रभाई बारोट	गुजरात
12	श्री गौरांग व्यास	गुजरात
13	श्री मुकेश कपाडिया	गुजरात
14	डॉ दीपा सिंह	हरियाणा
15	श्री विक्रम सिंह	हरियाणा
16	श्री अमर सिंह	हिमाचल प्रदेश
17	श्री भारत भूषण शर्मा	जम्मू और कश्मीर
18	श्री प्रधान राजेश चंदामल	महाराष्ट्र
19	श्री नंदकिशोर आर राठौर	महाराष्ट्र
20	श्री सुनील डोमनिक गोनसाल्विस	महाराष्ट्र
21	श्री अविनाश आर. रसल	महाराष्ट्र
22	श्री प्रकाश लोकाया शेट्टी	महाराष्ट्र
23	श्री सी जोरामचन्ना	मिजोरम
24	श्री जेनामनी सुप्रवत एस बी जेना	ओडिशा
25	श्री रनवीर एस चौहान	पंजाब
26	श्री दुर्गा प्रसाद सैनी	राजस्थान
27	श्री तेज प्रकाश शर्मा	राजस्थान
28	श्री बिद्युत सूत्रधार	त्रिपुरा
29	सुश्री शिखा सिन्हा	उत्तर प्रदेश
30	श्री कौशल किशोर शर्मा	उत्तर प्रदेश
31	श्री विभोर गोयल	उत्तराखण्ड
32	श्री तमल कांति मुखर्जी	पश्चिम बंगाल
33	श्री देबाशीष मलिक चौधरी	पश्चिम बंगाल

[फा. सं.11034/30/2009-आईएस-VI(IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

S.O.1390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following Advocates as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of such cases in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State mentioned against their names:—

Sr. No.	Name of the Advocates	State
1.	Shri Gone Koteshwar Rao	Andhra Pradesh and Telangana
2.	Shri Kishor Bhaduri	Chhattisgarh
3.	Shri Dhan Singh Solanki	
4.	Shri Umakant Pande	
5.	Shri Sanjay Kumar @ Sanjay K Guevera	Chandigarh
6.	Shri Karan Bir Gill	
7.	Shri Rohit Shankar	NCT of Delhi
8.	Shri Umesh Kumar Sharma	
9.	Shri B. S. Joon	
10.	Shri Mithlesh Kumar Jha	
11.	Shri Maulin Jyotindrabhai Barot	Gujarat
12.	Shri Gaurang Vyas	
13.	Shri Mukesh Kapadiya	
14.	Dr. Deepa Singh	Haryana
15.	Shri Vikram Singh	
16.	Shri Amar Singh	Himachal Pradesh
17.	Shri Bharat Bhushan Sharma	Jammu and Kashmir
18.	Shri Pradhan Rajesh Chandamal	Maharashtra
19.	Shri Nandkishor R Rathod	
20.	Shri Sunil Domnic Gonsalvis	
21.	Shri Avinash R. Rasal	
22.	Shri Prakash Lokaya Shetty	
23.	Shri C. Zoramchhana	Mizoram
24.	Shri Jenamani Supravat S B Jena	Odisha
25.	Shri Ranvir S Chauhan	Punjab
26.	Shri Durga Prasad Saini	Rajasthan
27.	Shri Tej Prakash Sharma	
28.	Shri Bidyut Sutradhar	Tripura
29.	Ms. Shikha Sinha	Uttar Pradesh
30.	Shri Kaushal Kishor Sharma	
31.	Shri Vibhore Goel	Uttarakhand
32.	Shri Tamal Kanti Mukherjee	West Bengal
33.	Shri Debasish Mallick Choudhury	

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ.1391(अ).—केन्द्र सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा-24 की उपधारा-(8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008(2008 का 34) की धारा-15 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थापित किसी मामले के संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र में अपील तथा समीक्षा अथवा अन्य मामलों के आयोजन के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के तौर पर एतद्वारा नियुक्त करती है:—

क्रम सं.	*अधिवक्ताओं का नाम*
1	सुश्री अरूणा एस पाई
2	सुश्री शर्मिला शेषाद्री कौशिक
3	श्री अवधूत मधुकर चिमाल्कर
4	श्री संदेश दादा साहेब पाटिल

[फा. सं.11034/30/2009-आईएस-VI(IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi,the 25th May, 2015

S.O.1391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following advocates as Special Public Prosecutor for conducting appeals and revisions or other matters in High Court of Bombay, Maharashtra, arising out of any case instituted by the National Investigation Agency:—

Sr. No.	**Name of the Advocates**
1.	Ms. Aruna S Pai
2.	Ms. Sharmila Shesyadri Kaushik
3.	Shri Avadhut Madhukar Chimalkar
4.	Shri Sandesh Dadasaheb Patil

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.